प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 31 जनवरी, 2020***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रमेश हरिजन पुत्र श्री मंटेक उर्फ मनटेकू निवासी जनपद-बस्ती की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-35064/प्रोबेशन-3/फार्म-ए (एम-19.09.2019) दिनांक-03.12.2019 कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रमेश हरिजन पुत्र श्री मंटेक उर्फ मनटेकू, जो ग्राम-मुरादीपुर, थाना-हरैया, जनपद-बस्ती का रहने वाला है। बन्दी ने दिनांक 30.01.1996 को रात्रि लगभग 09:00 बजे परिवादिनी श्रीमती बताशी देवी की अवयस्क पुत्री रेनू उम्र 5-6 वर्ष की बलात्कार कर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-312/1996 में भा0द0वि0 की धारा-302, 376 के अन्तर्गत मा0 प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बस्ती के आदेश दिनांक 02.02.1999 द्वारा दोषमुक्त किया गया। उक्त निर्णय के विरूद्ध योजित अपील में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 23.03.2007 द्वारा धारा-302, 376 के अन्तर्गत आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया तथा मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 21.05.2012 द्वारा अपील को निरस्त करते हुए आजीवन कारावास की सजा को बहाल रखा गया। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बस्ती द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, बन्दी ने नाबालिक लडकी के साथ बलात्कार कर हत्या किये जाने, बन्दी की उम्र कम होने के कारण अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। बन्दी के पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, अपराध व उम्र को देखते हुए जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने दिनांक 30.01.1996 को रात्रि लगभग 09:00 बजे वादिनी की पुत्री रेनू उम्र 5:6 वर्ष की बलात्कार कर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी रमेश हरिजन पुत्र श्री मंटेक उर्फ मनटेकू को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति **नहीं की** गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि रमेश हरिजन पुत्र (बन्दी संख्या-753/2007) श्री मंटेक उर्फ मनटेकू निवासी जनपद-बस्ती के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-69/2020/3002(1)/22-2-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद- बस्ती।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री को सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-69/2020/3002/22-2-2019-17(1189)/2019

दिनांक 31 जनवरी, 2020 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रमेश हरिजन पुत्र श्री मंटेक उर्फ मनटेकू, जो ग्राम-मुरादीपुर, थाना-हरैया, जनपद-बस्ती का रहने वाला है। बन्दी ने दिनांक 30.01.1996 को रात्रि लगभग 09:00 बजे परिवादिनी श्रीमती बताशी देवी की अवयस्क पुत्री रेनू उम्र 5-6 वर्ष की बलात्कार कर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-312/1996 में भा0द0वि0 की धारा-302, 376 के अन्तर्गत मा0 प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बस्ती के आदेश दिनांक 02.02.1999 द्वारा दोषमुक्त किया गया। उक्त निर्णय के विरूद्ध योजित अपील में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 23.03.2007 द्वारा धारा-302, 376 के अन्तर्गत आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया तथा मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 21.05.2012 द्वारा अपील को निरस्त करते हुए आजीवन कारावास की सजा को बहाल रखा गया। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बस्ती द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, बन्दी ने नाबालिक लडकी के साथ बलात्कार कर हत्या किये जाने, बन्दी की उम्र कम होने के कारण अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। बन्दी के पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, अपराध व उम्र को देखते हुए जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने दिनांक 30.01.1996 को रात्रि लगभग 09:00 बजे वादिनी की पुत्री रेनू उम्र 5:6 वर्ष की बलात्कार कर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी रमेश हरिजन पुत्र श्री मंटेक उर्फ मनटेकू को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति **नहीं की** गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।